फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

[illegible] गोदारा बनाम आखाराम गोदारा

किस्म मुकदमा ....रा. अपी........ मुकदमा नम्बर ..../2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/2/24	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री ....श्री राम बिश्नोई.... यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ....111, 126, 54.... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ....29/2/24.... को पेश हो । [signature]	
29/2/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विभागीय कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 19/3/24 को पेश हो।	
19/03/24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उप. । विप्रार्थीगण के नोटिस Registered delivery Report सहित प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आइन्दा दिनांक को पेश होवे	
19/03/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. । विप्रार्थीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त होने	

के बावजूद कोई उप. नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील
की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली
का अध्ययन अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है
कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अतः
तत्सम्बन्धी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. किशनलाल पुत्र पुरखाराम 2. मीरा पत्नि पुरखाराम 3. पुनमाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. अखाराम पुत्र नेणाराम 2. तनुराम पुत्र नेणाराम 3. प्रकाश पुत्र नेणाराम 4. सरवणराम पुत्र नेणाराम 5. हमीरा पुत्र नेणाराम 6. रूघा पुत्र हरू जाति मेघवाल निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, बाड़मेर। 7. किशनाराम पुत्र जालूराम 8. पुरखाराम पुत्र जालूराम 9. भवराराम पुत्र जालूराम 10. रमेश पुत्र जालूराम 11.राणाराम पुत्र जालूराम, जाति जाट, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 12. पुनमाराम पुत्र सिमरथाराम 13. प्रकाश पुत्र बाबूलाल 14. रूपाराम पुत्र बाबूलाल 15. रमेश पुत्र बाबुलाल, जाति सुथार, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 16. अधरमान पुत्र तालब 17. पनु पुत्र सूरा 18. सिलेमान पुत्र खमिशा 19. जाकुखान पुत्र अरबाब 20. मिसरी खान पुत्र अरबाब 21. मोहमदखान पु. अरबाब 22. सलीमखान पुत्र अरबाब 23. मोटू पुत्र अलीम 24. सदिक पुत्र याकूब जाति मुसलमान, निवासी छोटी बीसासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 25. तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 23/2024

दिनांक : 19/03/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा हरपालिया के खेत खसरा संख्या 340/47 रकबा 2.4281 हैक्टर, खसरा संख्या 342/47, 343/47 रकबा क्रमशः 0.8094 हैक्टर, 0.8094 हैक्टर जुमले रकबा 04.0469 हैक्टर के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(विरेन्द्रसिंह भाटी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/ 143-146

दिनांक 02/04/2024

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी किशनलाल पुत्र पुरखाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण अखाराम पुत्र नेणाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 23/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

किशनलाल वगैरा बनाम अखाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय दिनांक – 19/03/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा हरपालिया के खेत खसरा संख्या 340/47 रकबा 2.4281 हैक्टर, खसरा संख्या 342/47, 343/47 रकबा क्रमशः 0.8094 हैक्टर, 0.8094 हैक्टर जुमले रकबा 04.0469 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र हरपालिया भू.अ.नि. क्षेत्र सारला के मौजा हरपालिया के खेत खसरा संख्या 340/47 रकबा 2.4281 हैक्टर, खसरा संख्या 342/47, 343/47 रकबा क्रमशः 0.8094 हैक्टर, 0.8094 हैक्टर जुमले रकबा 04.0469 हैक्टर की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/03/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(विरेन्द्रसिंह भाटी,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा